


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

जमनी बनाम रसूलाल
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 133/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>जमनी w/o मंगीलाल रेगर</u> पिता श्री <u>मंगू उर्फ मंगीलाल पिता रामाजी रेगर</u> निवासी- <u>सुरजना</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सुरजना (पण्डे लेमलपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>850/316</u> <u>302, 316, 825/303, 826/315</u> कीता 4 रकबा <u>0.3900</u> कुल कीता <u>5</u> कुल रकबा <u>0.5100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरजना (पण्डे लेमलपुरा)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>850/316</u> रकबा <u>0.1200</u> <u>302, 316, 825/303, 826/315</u> कीता 4 रकबा <u>0.3900</u> कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>0.5100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जावे है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500.00</u> रुपये अक्षरे <u>पञ्च सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p> 